न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 34/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल विक्रेता मैसर्सः–बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला–दौसा।
2. संजय अग्रवाल प्रो0 मैसर्स दुर्गा मार्केटिंग, ए–7 बस्सी सीतारामपुरा, पानीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, जयपुर।

3- Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/S CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153,

4- M/S-CG Foods Enerprise, 77 Sector 4, II E Patnagar, (U.S. Nagar) Uttrakhand 263153.

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप0।
: अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित।
: श्री पंकज चेची अधिवक्ता अभियुक्तगण 2 लगायत 4 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांक 27.12.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 6.6.2015 को सायं 4:00 बजे मैसर्स– बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला– दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक रेक में 15 पॉलीपैक 450 ग्राम पैकिंग में पैक नूडल्स (वाई–वाई) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे, में मिलावट का शक होने पर इनमे से 4 मूल पॉलीपैक X 450 ग्राम वजन के नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 280 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ. बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा नूडल्स (वाई–वाई) के मूल पॉलीपैक पर चिपकाकर पॉलीपैक को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पॉलीपैक पर डी.ओ. व

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1113 गोंद से चिपकाकर पॉलीपैक को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पॉलीपैक को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पॉलीपैक पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पॉलीपैक को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की तथा अलग से जरिये डाक एक प्रति मुल्जिम संख्या 2 को भेजी। जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद पॉलीपैक एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिंया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 8.6.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 8.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पॉलीपैक व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 9.6.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई–वाई) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1604/एक्ट/2015/557 दिनांक 24.7.2015 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई–वाई) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट व पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी पवन बंसल प्रो0 बंसल ट्रेडर्स महवा में नूडल्स (वाई–वाई) का कम्पनी **CG Foods Products** द्वारा अधिकृत विक्रेता बनाया गया हुँ। कम्पनी के अधिकृत जयपुर में दुर्गा मार्केटिंग सुपर स्टाकिस्ट से बिलिंग होकर हमको माल ट्रांसपोर्ट द्वारा सप्लाई होता है। मैं उक्त खाद्य पदार्थ का उत्पादनकर्ता नहीं हुँ। अधिवक्ता अभियुक्तगण सं0 2 लगायत 4 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई–वाई) का सैम्पल मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड बताया गया है। रिपोर्ट में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। नूडल्स (वाई–वाई) के पैकेट पर ग्रीन सिम्बल था, अन्दर वाले पैकिट पर ग्रीन सिम्बल नहीं था। सैम्पल कलेक्ट करने के बाद दिनांक 8.6.15 के पूर्व के नियमों के तहत सैम्पल टेस्ट होना चाहिये था। नूडल्स में कही भी

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

कलर नहीं मिला है। नूडल्स व सीजनिंग की श्रेणी एक ही नहीं है। अतः प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1604/एक्ट/2015/557 दिनांक 24.7.2015 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई–वाई) मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पाया गया जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अभियुक्तगण) सं0 3 लगायत 4 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 के तहत मिसब्राण्ड एवं सबस्टैण्डर्ड उक्त खाद्य पदार्थ नूडल्स (वाई–वाई) के विक्रय करने का दोषी है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 में मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्तगण सं0 3 लगायत 4 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 **Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/S CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153** पर 10000/–(अक्षरे दस हजार) रूपये, शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.12.2017 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/7696-7700
दिनांकः–27.12.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पवन कुमार पुत्र श्री भोलानाथ बंसल विक्रेता मैसर्सः–बंसल ट्रेडर्स, प्रधान जी का कटला, मैन मार्केट, महवा जिला–दौसा।
4. संजय अग्रवाल प्रो0 मैसर्स दुर्गा मार्केटिंग, ए–7 बस्सी सीतारामपुरा, पानीपेच तिराहा, झोटवाडा रोड, जयपुर।
5. **Mr. Khadga Paudel Incharge/Nominee M/s CG Foods Enterprise, 77 Sector 4, II E Pantnagar, (U.S. Nagar) Uttarkhand 263153,**

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा